निग -2186 I-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2016

जयदेव सिंह पुत्र श्री गोविंद सिंह बुदेंला, निवासी मउ सहानिया तहसील नौ गांव जिला छतरपुर (म.प्र.)

----आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर (म.प्र)

---अनावेदक

2. जमुना प्रसाद उर्फ बबलू पुत्र भगवानदास रायकवार, निवासी सूड़ां सहानिया तहसील नौ गांव जिला छतरपुर (म.प्र.) --तरतीवी अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार तहसील नौ गांव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ-70/2014-15 में पटवारी हलका न. 35 सहानिया के पटवारी से तहसील न्यायालय द्वारा तलब पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 29/12/2014, के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

1. यहकि, आवेदक द्वारा ग्राम सहानिया तहसील नौ गांव जिला छतरपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1530 रकबा 0.749 हे. एवं सर्वे क्रमांक 1535 रकबा 0.121 हे. के भूमि स्वामी संतोष जैन, नरेन्द्र सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, रविन्द्र सिंह, दोपा राजा, सुमन राजा से रिजर्स्टड विक्रय विलेख दिनांक 08/01/2014 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। जिसका आवेदक द्वारा विधिवत नामांतरण कराकर तदानुसार राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी स्वत्व पर इन्दराज चले आ रहे है।

2. यहकि, आवेदक द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 1530, 1535 के सीमांकन हेतु आवेदन किया गया इस पर से राजस्व निरीक्षक तहसील नौ गांव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 29/10/2014 द्वारा पटवारी द्वारा प्रस्तुत सीमांकन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2186—एक/16 जिला —छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.8.16	यह निगरानी तहसीलदार नौगांव जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 3/अ—70/14—15 में पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 29.12.14 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2—प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम सहानिया स्थित भूमि सर्वे नंबर 1530 रकवा 0.749 है0 तथा सर्वे नबंर 1535 रकबा 0.121 है0 का विकय पत्र दिनांक 8.1.14 को संपादित हुआ, जिस पर केतागण का नामांतरण किया गया एवं राजस्व निरीक्षक नौगांव ने प्रकरण कमांक 11/अ—12/13—14 में पारित आदेश दिनांक 29.10.14 से सीमांकन आदेश पारित कर केतागण को सीमा चिन्ह चिन्हांकित कराये व मौके पर कब्जा सोंपा। सीमांकन के पश्चात सीमांकनकर्ताओं की ओर से धारा 250 का आ आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर	

तहसीलदार ने पटवारी से कब्जे के संबंध में रिपोर्ट चाही। पटवारी ने प्रतिवेदन दिनांक 29.12.2014 प्रस्तुत कर बताया कि वादोक्त भूमि पर अनावेदकगण का कब्जा पूर्वजों के कार्यकाल से है इसी प्रतिवेदन पर से यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

3- निगरानी में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- यदि आवेदक के विरूद्ध कोई एक पक्षीय प्रतिवेदन है भी तब वह आवेदक की उपस्थिति में न होने से उस पर बन्धनकारी नहीं है इसके अतिरिक्त आवेदक आलोच्य प्रतिवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति करने के लिये स्वतंत्र है। अर्थात आपत्ति कर सकता है। उपरोक्तानुसार यह निगरानी निराकृत की जाती है। पटवारी का प्रतिवेदन दिनांक 29.12.14 को निरस्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य